रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART III—Section 4
भाग III—खण्ड 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 1988/आश्विन 5, 1910

No. 42] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 1988/ASVIANA 5, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1988

सं. पी एस बी/स्टाफ/ओ एस आर/88.—बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के खण्ड 19 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य एतद्द्वारा पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाते है ।

(2) संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(i) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1982 कहा जायेगा ।

(ii) यह विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

1-5-1986 से पी एस बी. (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 के विनियम, 20 को निम्नप्रकार से संशोधित किया जाता है :

20(1) विनियम 16 के उपविनियम (3) के अधीन रहते हुए, बैंक किसी अधिकारी की सेवाओं का पर्यवसान तीन मास की लिखित सूचना या उसके बदले में उसे तीन मास की परिलब्धियों का भुगतान करके कर सकेगा ।

(2) कोई भी अधिकारी बैंक की सेवा से त्यागपत्र ऐसे पद त्याग की तीन मास की लिखित सूचना के पश्चात ही कर सकेगा । अन्यथा नहीं, यह सूचना इन विनियमों में उल्लेख के अनुसार सक्षम अधिकारी को दी जानी चाहिए :

परन्तु सक्षम अधिकारी तीन मास की अवधि को घटा सकेगा या सूचना की अपेक्षा का परिहार कर सकेगा।

(3क) उपविनियम (2) में शामिल किसी बात के अन्यथा होते हुए भी ऐसा कोई भी अधिकारी जिसकी अनुशासनिक कार्रवाई अभी तक अनिर्णीत है वह सक्षम प्राधिकारी के लिखित तौर पर पूर्व अनुमोदन के बगैर न तो बैंक छोड़ सकता है और न ही त्यागपत्र दे सकता है । किसी भी अधिकारी द्वारा त्यागपत्र की सूचना अनुशासनिक कार्यवाही से पहले और बीच में दिये जाने पर तब तक प्रभावी नहीं मानी जायेगी जब तक कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं कर ली जाती ।

(ख) किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई को इस विनियम के प्रयोजन हेतु लम्बित माना जायेगा । यदि

कर्मचारी को निलम्बित किया गया हो या कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हो कि क्यों न उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए या कोई आरोप पत्र उसके विरुद्ध जारी किया गया हो, तब तक सभी लम्बित समझे जायेंगे, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किये जाते।

(ग) यदि कोई कर्मचारी दुर्व्यवहार के आरोप में बैंक सेवा से निलंबित किया गया हो उसे सेवा निवृत्त नहीं किया जायेगा और न ही उसे अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तिथि पर पहुंचने पर सेवा निवृत्त होने दिया जायेगा जब तक उनके आरोपों की जांच समाप्त नहीं हो जाती और अंतिम आदेश पारित नहीं हो जाते उसे बैंक सेवाओं में ही रखा जायेगा।

II दिनांक 1-8-86 से पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 के विनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्न परन्तुक जोड़ा गया है :—

"परन्तु यह और कि उपविनियम (2) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश से असंतुष्ट अधिकारी आदेश के पारित होने के एक मास के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध निदेशक मंडल को लिखित रूप से अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, तथा संबंधित अधिकारी के अभ्यावेदन पर निदेशक मंडल तीन मास के भीतर उस पर विचार कर निर्णय लेगा। यदि निदेशक मंडल यह निर्णय लेता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायोचित नहीं है तो संबंधित अधिकारी की सेवा में पुनः बहाल किया जायेगा, भले ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश न दिया गया हो।"

III. दिनांक 1-2-84 से विनियम 23(5) के नीचे दिये गये परन्तुक को निरस्त कर एक अन्य परन्तुक निम्न प्रकार से दिया गया है :—

"इसके अतिरिक्त यदि किसी अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान, जिला औद्योगिक केन्द्र अथवा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो उसे उसके मूल वेतन का 10 प्रतिशत प्रति नियुक्ति भत्ते के रूप में दिया जायेगा बशर्ते कि उसके पहले मूल विभाग में समय-समय पर दिये जाने वाले मूल वेतन एवं प्रतिनियुक्ति भत्ते का कुल योग प्रतिनियुक्ति के पद के अधिकतम वेतनमान से अधिक न हो।

IV. "दिनांक 1-10-86 से पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है :—

"विनियम 12(2) उपविनियम (3) के उपबन्धित के अलावा जहां किसी अधिकारी ने ऐसे विकल्प का प्रयोग किया है वहां वह नियत तारीख से ठीक पूर्व बैंक की सेवा में के अपने हक के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करता रहेगा :

परन्तु फिर भी वह अधिकारी ऐसे हक के अधीन परिलब्धियों का पात्र होगा, किन्तु केवल ऐसी परिलब्धियों का हकदार होगा जो उसे इन विनियमों के अधीन अनुज्ञेय है।

V. दिनांक 1-10-86 से पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 के विनियम 12(3) में भी निम्न विनियम 12(3) जोड़ा गया है :

"ऐसा कोई भी अधिकारी जिसने उपविनियम (1) में दिए गये विकल्प का प्रयोग किया हो और जो बैंक की सेवाओं में नियत तिथि से ठीक पूर्व उपविनियम 2 के अन्तर्गत अपनी पात्रता के अनुसार वेतन व भत्ते प्राप्त कर रहा हो, उसे इन विनियमों के अन्तर्गत देय वेतन व भत्ते 1-2-84 से प्राप्त करने के विकल्प की छूट होगी। ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर विनियम 8 के अनुसार उन नियत तिथि पर काल्पनिक तौर पर नये वेतनमान में रखा जायेगा और उसे वेतन वृद्धि देने के पश्चात् जो कि उसे इन विनियमों के अनुसार 31-1-84 को मिलती, उसे 1-2-84 के विनियम 4(1) में उल्लिखित वेतनमान में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नियत किया जायेगा :

बशर्ते कि यदि नियतन के पश्चात् इन विनियमों के अन्तर्गत वेतन और भत्तों का कुल जोड़ उसे 31-1-84 से पहले मिलने वाले कुल वेतन एवं भत्ते से कम है तो उनके अन्तर की राशि उसे वैयक्तिक भत्ते के रूप में दिया जायेगा जिसकी भावी वेतनवृद्धियों में ऐसी प्रत्येक वेतन वृद्धि के 33-1/3 प्रतिशत की सीमा तक अथवा ऐसी वेतन-वृद्धि के परिणाम स्वरूप वेतन में होने वाली 33-1/3 प्रतिशत की वृद्धि, इन में से जो भी कम हो, आमेलित किया जायेगा।"

VI. दिनांक 1-10-86 से पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 के विनियम 6(2) को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है :

"विनियम 6(2) उपविनियम (1) के अधीन वाले पदों के प्रवर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, बैंक की प्रत्येक शाखा, सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार, बैंक द्वारा छोटे, मध्यम, बड़े या असाधारणतया बड़े प्रवर्ग के रूप में वर्गीकृत की जायेगी।"

VII. दिनांक 1-8-86 से पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 के विनियम 19 को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है :

"उपरोक्त विनियम में जहां भी "कमेटी" अथवा "विशेष कमेटी" शब्द आया है वहां इन शब्दों के पश्चात् "/कमेटियां" अथवा "/विशेष कमेटियां" शब्द लगाया जाये।

VIII. 1-11-86 से पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 के के विनियम 41(1) को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है :

विनियम 41(1) में जहां कहीं भी शब्दों एवं अंकों में 2675/- एवं 3000/- आया है" उन्हें शब्दों एवं अंकों में "2650/- एवं 2925/" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये।

IX 1-4-87 से पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 के विनियम 22(3)(ii) को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है :

"निवास स्थान की पूंजी लागत का 12 प्रतिशत, जिसके अन्तर्गत भूमि की लागत भी है और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो उस भूमि की पूंजी लागत का वह आनुपातिक हिस्सा जो उस निवास स्थान का माना जा सकता है, किन्तु इसके अन्तर्गत विशेष फिक्सचर, जैसे बातानुकूलक नहीं है,

X. दिनांक 1-1-87 से पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 के विनियम 41(4) को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है :

"41(4)—दिनांक 1-1-87 की एवं से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उपवर्णित वेतन परास में अधिकारी उसके स्तम्भ 2 में उपवर्णित तत्संबंधी दरों पर किराया भत्ते का हकदार होगा :

I में उपवर्णित वेतन परास में अधिकारी उसके स्तम्भ 2 में उपवर्णित तत्संबंधी दरों पर विराम भत्ते का हकदार होगा :

सारणी

अधिकारी का वेतन परास	दैनिक भत्ता (रुपये)		
	प्रमुख "क" वर्ग नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1	2		
वेतनमान 6 एवं 7	100.00	80.00	60.00
वेतनमान 4 एवं 5	100.00	80.00	60.00
वेतनमान 2 एवं 3	70.00	60.00	50.00
वेतनमान 1	70.00	60.00	50.00

बशर्ते कि :

(क) जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किन्तु 4 घंटों से अधिक है तो विराम भत्ता उपर्युक्त दरों से आधी दर पर संदेय होगा।

(ख) विभिन्न ग्रेडों/वेतनमान में कार्यरत अधिकारियों को वास्तविक होटल खर्चे की प्रतिपूर्ति जो कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के एकल कमरे के प्रभार से अधिक न हो, निम्न सीमा में की जायेगी :

अधिकारी का ग्रेड/ वेतनमान	ठहरने की पात्रता	खानपान प्रभार (रुपये)		
		प्रमुख "क" वर्ग नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
वेतनमान 6 एवं 7	4 सितारा होटल	100.00	80.00	60.00
वेतनमान 4 एवं 5	3 सितारा होटल	100 00	80.00	60.00
वेतनमान 2 एवं 3	2 सितारा होटल (वातानुकूलक नहीं)	70.00	60.00	50.00
वेतनमान—1	1 सितारा होटल (वातानुकूलक नहीं)	70.00	60.00	50.00

(ग) जहां किसी विराम स्थान पर निःशुल्क आवास की व्यवस्था की जाती है, वहां विराम भत्ते का 3/4 अनुदेय होगा।

(घ) जहां किसी विराम स्थान पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है वहां विराम भत्ते का 1/2 अनुदेय होगा।

(ङ) जहां किसी विराम स्थान पर निःशुल्क आवास और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है वहां विराम भत्ते का 1/4 अनुदेय होगा।

(च) सभी निरीक्षण अधिकारियों को निरीक्षण कार्य पर मुख्यालय से बाहर विराम के लिये प्रतिदिन 5 रुपये के हिसाब से अनुपूरक दैनिक भत्ते का संदाय किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण

विराम भत्ते की संगणना के प्रयोजन के लिए "प्रतिदिन" से 24 घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका पश्चात्वर्ती भाग अभिप्रेत है, जिसकी गणना वायुयान द्वारा यात्रा की दशा में, स्थान के लिए रिपोर्ट करने के समय से, और अन्य दशाओं में स्थान के अनुसूचित समय से पहुंचने के वास्तविक समय तक की जायेगी। जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" से कम से कम 8 घंटे की अवधि अभिप्रेत है।

11. दिनांक 1-1-87 से पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 के विनियम 23(4) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है :

दिनांक 1-1-87 को एवं से यदि किसी अधिकारी को शैक्षिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान को अन्तरित किया जाता है और यदि उसकी एक या अधिक संतान पूर्ववर्ती स्थान में विद्यालय या महाविद्यालय में अध्ययन कर रही है तो उस तारीख से जिस तारीख को वह पश्चात कथित स्थान पर रिपोर्ट करती है, शैक्षिक वर्ष के अंत तक, सभी संतानों की बाबत 150/- रुपये प्रतिमास शैक्षिक वर्ष के मध्य प्रस्तरण भत्ता : परन्तु ऐसा भत्ता उस दशा में बन्द हो जायेगा जब सभी संतानें पूर्ववर्ती स्थान पर अध्ययन करना बंद कर देंगी।

12. दिनांक 1-1-85 से पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 के विनियम 23(6) को निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

23(6) दिनांक 1-1-85 को एवं से यदि उससे कम से कम 7 दिन की निरन्तर अवधि के लिए या किसी कैलेंडर मास के दौरान कुल सात दिन के लिए किसी उच्चतर ग्रेड में किसी पद पर स्थानापन्न के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तो उसे उस अवधि के लिए उसके वेतन का 10% स्थानापन्न भत्ते के रूप में दिया जायेगा जो कि 250/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। स्थानापन्न भत्ता भविष्य निधि के प्रयोजनों के लिए वेतन होगा और अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं होगा।

परन्तु यदि कोई अधिकारी मात्र विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है तो वह उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ते का पात्र नहीं होगा जिस तारीख को प्रवर्ग करण का पुनर्विलोकन प्रभावी होता है।

13. 1-1-85 से पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 के विनियम 23(10) को निम्न से प्रतिस्थापित किया गया है :

दिनांक 1-1-85 को एवं से यदि वह नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित स्थान पर सेवारत है तो उसके स्तम्भ 2 में उस स्थान के सामने उल्लिखित दर पर पहाड़ और ईंधन भत्ता—

सारणी

स्थान	दर
माध्य समुद्र तल से 1500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित कार्यालय	वेतन का 10 प्रतिशत जो अधिक से अधिक 130 रु. प्रतिमाह होगा।
माध्य समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित कार्यालय	वेतन का 8 प्रतिशत, जो अधिक से अधिक 100 रु. प्रतिमास होगा।

14. दिनांक 1-1-87 से पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 के विनियम 24(1) (ख) में खण्ड 4 के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड (5) जोड़ा गया है :

24(1)(5) दिनांक 1-1-87 को एवं से निम्नलिखित बीमारियों में जिनमें स्थायी आवास पर उपचार की आवश्यकता हो जिसे मान्यता

प्राप्त अस्पताल के प्राधिकारी एवं बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, निम्न बीमारियों पर व्यय किया गया चिकित्सीय व्यय, अस्पताल में भर्ती हेतु व्यय समझा जायेगा एवं इन प्रभारों की किसी अधिकारी के स्वयं की दशा में 75% तथा परिवार के सदस्यों की दशा में 50% तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

कैंसर, तपेदिक, लकवा, हृदयरोग, ट्यूमर, चेचक, प्लूरसी, डिपथीरिया, कुष्ठ रोग एवं गुर्दे की बीमारियां।

15. दिनांक 1-1-87 से पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 का विनियम 42(2)(II) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

42(2)(II)—दिनांक 1-1-87 को एवं से यदि स्थानान्तरण पर कोई अधिकारी पूरे वैगन के उपयोग का पात्र है एवं यदि वह रेलवे की कंटेनर सेवा की सुविधा प्राप्त करता है तो कनिष्ठ अथवा मध्यम प्रबंधन ग्रेड की दशा में उसे एक कंटेनर के वास्तविक प्रभार की प्रतिपूर्ति की जायेगी एवं वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड अथवा शीर्षस्थ कार्यपालक ग्रेड की दशा में उसे दो कंटेनर के वास्तविक प्रभार की प्रतिपूर्ति की जायेगी। पूर्व एवं वर्तमान नियुक्ति स्थल यदि रेल मार्ग से जुड़े है एवं उनके मध्य सामान का परिवहन लारी द्वारा किया जाता है तो प्रतिपूर्ति बिल प्रस्तुत किए जाने पर माल गाड़ी द्वारा अनुज्ञेय अधिकतम मात्रा के परिवहन की लागत तक अथवा वास्तविक माल भाड़ा प्रभार जो भी कम हो तक सीमित होगी। पूर्व अथवा वर्तमान नियुक्ति स्थल पर कोई रेलवे स्टेशन अथवा रेलवे आउट एजेंसी नहीं होने की दशा में अधिकारी निकटतम रेलवे स्टेशन अथवा आउट एजेंसी तक लारी द्वारा परिवहन के वास्तविक प्रभार का हकदार होगा।

पूर्व एवं वर्तमान नियुक्ति स्थल पर रेलवे स्टेशन/रेलवे आउट एजेंसी न होने की दशा में अधिकारी को अनुमोदित परिवहन चालक द्वारा नियत भार की सीमा तक वास्तविक परिवहन मूल्य का भुगतान किया जा सकेगा।

16. दिनांक 1-1-87 से पंजाब एण्ड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 का विनियम 42(3) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

42(3) 1-1-87 को एवं से स्थानान्तरण पर अधिकारी बैंकिंग स्थानीय परिवहन और सामान का बीमा कराने हेतु निम्न प्रकार से एक मुश्त राशि पाने का हकदार होगा:

ग्रेड	एक मुश्त राशि
शीर्षस्थ एवं वरिष्ठ प्रबंधन	1500/- रु.
मध्यम एवं कनिष्ठ प्रबंधन	1000/- रु.

17. 1-1-87 से विनियम 44(ii) निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

44(ii) दिनांक 1-1-87 को एवं से जब कोई अधिकारी प्रत्येक चार वर्ष में एक बार छुट्टी यात्रा रियायत लेता है तब उसे एक समय में अधिक से अधिक एक माह की अपनी विशेषाधिकार छुट्टी अभ्यर्पित करने और उसके लिए नकद राशि प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, ऐसी नकद राशि प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उस माह की जिसमें छुट्टी यात्रा रियायत शुरू होती है, की सभी परिलब्धियां अनुज्ञेय होंगी;।

परन्तु यदि कोई अधिकारी अपनी एक दिन की विशेषाधिकार छुट्टी की नकद राशि प्रधान मंत्री राहत कोष में दान देना चाहता है तो बैंक को आवेदन करने व बैंक को नकद राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजने को प्राधिकृत करने की स्थिति में उसे एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकार छुट्टी अभ्यर्पित करने तथा नकद राशि प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

18. दिनांक 1-1-85 से पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 के विनियम 5(1) के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा गया है:

"यदि कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड वेतनमान-1 एवं मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान 2 एवं 3 में कोई अधिकारी अपने उच्चतम वेतनमान तक पहुंच जाता है तो ऐसी दशा में कनिष्ठ प्रबंधन के ग्रेड वेतनमान के अधिकारी को पूरे पांच वर्ष के अन्तर में दो वेतन वृद्धियां अंतिम वेतन वृद्धि के समसूल्य एवं मध्यम प्रबंधन ग्रेड वेतनमान 2 एवं 3 के अधिकारी को एक वेतन वृद्धि अंतिम वेतन वृद्धि के समसूल्य पर गतिहीनता वेतन वृद्धि के रूप में दी जा सकेगी।

उन अधिकारियों के मामले में जिन्होंने अपने उच्चतम वेतनमान में 5 वर्ष पूरे कर लिए है, उन्हें देयतिथि पर अथवा 1-1-85, जो भी बाद की तिथि हो, के लिए गतिहीनता वेतन वृद्धि दी जा सकेगी। किन्तु पात्र अधिकारियों को इस तरह की द्वितीय वेतन वृद्धि 1-1-87 के पश्चात् ही दी जा सकेगी।

19. दिनांक 1-2-84 से पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 के विनियम 5(2) के अन्त में निम्न परन्तुक जोड़ा जाता है:

दिनांक 1-2-84 को एवं से जो अधिकारी अपने उच्चतम वेतनमान में पहुंच गये है उन्हें सी.ए.आई.आई.बी. भाग-1 पास करने पर 100 रुपये प्रतिमाह व्यवसायिक योग्यता भत्ता उच्चतम वेतनमान में एक वर्ष पूरा कर लेने के पश्चात मिलेगा एवं जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. भाग-2 पास किया हो उन्हें 200 रुपये प्रतिमाह व्यवसायिक योग्यता भत्ता उच्चतम वेतनमान में दो वर्ष पूरे कर लेने के पश्चात् मिलेगा।

20. 1-2-84 से पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1982 निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

विनियम 22(2)—दिनांक 1-2-84 से जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा निवास स्थान नहीं दिया जाता है वहां वह अधिकारी ऐसे मकान किराया भत्ते का पात्र होगा जो उसके द्वारा अपने निवास स्थान के लिए संदत्त वास्तविक किराये की उसके वेतनमान के प्रथम चरण (जिसमें अधिकारी को रखा गया है) के मूल वेतनमान के 10 प्रतिशत से अधिकता के बराबर राशि होगी और ऐसी राशि की अधिकतम सीमा निम्नलिखित होगी।

जहां कार्य का स्थान निम्नलिखित में से है:	वहां मकान किराया भत्ते की अधिकतम सीमा होगी।
1. (अ) श्रेणी के बड़े शहर जैसा कि बोर्ड द्वारा भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप उल्लिखित हैं।	मूल वेतन का $17\frac{1}{2}$% प्रतिशत अथवा 500/- प्रतिमाह इनमें जो भी कम हो।
2. क्षेत्र-1 जो कि उपरोक्त मद-(1) के अन्तर्गत नहीं आता।	मूलवेतन का 16 प्रतिशत अथवा रु. 400/- इनमें जो भी कम हो।

3. क्षेत्र-2 एवं राज्यों की राजधानियों केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों जो कि मद (1) एवं (2) के अन्तर्गत नहीं आती हैं।	मूल वेतन का 12½ प्रतिशत अथवा रु. 300/- प्रतिमाह इनमें जो भी कम हो।
4. क्षेत्र-3	मूल वेतन का 10 प्रतिशत अथवा रुपये 250-00 प्रतिमाह इनमें जो भी कम हो।

टिप्पणी :

उपर्वर्णित मकान किराया भत्ते का भुगतान किराया रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त कोई अधिकारी प्रमाण-पत्र देकर उपरोक्त दरों पर निम्नलिखित अधिकतम सीमा तक मकान किराये भत्ते का दावा कर सकता है।

(अ) क्षेत्रों के बड़े शहरों तथा ए क्षेत्र के प्रोजेक्ट एरिया	अधिकतम रु. 275.00 प्रतिमाह
क्षेत्र-I के अन्य स्थान तथा बी क्षेत्र के प्रोजेक्ट एरिया	अधिकतम रु. 225/- प्रतिमाह
क्षेत्र-II एवं राज्यों की राजधानियों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों क्षेत्र-3	अधिकतम रु. 165/- प्रतिमाह रु. 110/- प्रतिमाह

नरेन्द्र सिंह गुजराल, उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)

PUNJAB & SIND BANK

(Personnel Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 1988

NO.PSB/Staff/OSR/1988 :—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Punjab & Sind Bank (Officers') Service Regulations 1982.

(2) Short Title and Commencement :—

(i) These regulations may be called the Punjab & Sind Bank (Officers) Service (Amendment) Regulations, 1982.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

w.e.f. 1-5-86 Regulation 20 of PSB(O)SR-1982, stands amended as under :—

20(1) Subject to sub-regulation (3) of regulation 16, the Bank may terminate the services of any officer by giving him three months' notice in writing or by paying three months' emoluments in lieu thereof.

(2) An officer shall not leave or discontinue his service in the Bank without first giving a notice in writing of his intention to leave or discontinue the service or resign. The period of notice required shall be three months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these Regulations.

Provided that the Competent Authority may reduce the period of three months or remit the requirement of notice.

3(a) Notwithstanding anything to the contrary contained in the sub regulation (2), an officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave/discontinue or resign from his service in the Bank without the prior approval in writing of the Competent Authority and any notice of resignations given by such an officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.

(b) Disciplinary proceedings shall be deemed to be pending against any employee for the purpose of this regulation if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him to show cause why disciplinary proceedings should not be instituted against him or where any charge sheet has been issued against him and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Competent Authority.

(c) An Officer under suspension on a charge of misconduct shall not be retired or permitted to retire on his reaching the date of compulsory retirement, but shall be retained in service until the enquiry into the charge is concluded and a final order is passed thereon."

II. W.e.f. 1-6-86 following proviso has been added after second proviso to Regulation 19(1) of PSB(O)SR-1982 :—

"Provided further that an officer aggrieved by the order of the Competent Authority, as provided in Sub-Regulation (2), may within one month of the passing of the order, give in writing a representation to the Board of Directors against the decision of the Competent Authority, and on receipt of such representation from the concerned officer, the Board of Directors shall consider his representation and take a decision within a period of three months. Where the Board of Directors decides that the order passed by the Competent Authority is not justified, the concerned Officer shall be reinstated as though the Competent Authority has not passed the order."

III. W.e.f. 1-2-84, the explanation given below the proviso to Regulation 23(v) has been deleted and a second proviso as mentioned hereunder has been added :—

"Provided further that an officer on deputation to the Training Institute of the Bank, District Industrial Centre or Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance @ 10 % of his basic pay subject to the condition that the basic pay in his parent department from time to time plus deputation allowance does not exceed maximum of the scale of pay of the post held on deputation.

IV. W.e.f. 1-10-86 Regulation 12(2) of PSB(O)SR-1982 stands amended as under:—

Regulation 12(2)—"Same as provided in sub-regulation (3) where an officer has exercised such option, he shall continue to draw pay and allowances according to his entitlement in the service of the Bank immediately prior to the appointed date.

Provided that in any case, the officer shall not be eligible for the perquisites under such entitlement but shall be entitled only to such perquisites as are admissible to him under these regulations."

V. Also, W.e.f. 1-10-86 following Regulation 12(3) has been added to Regulation 12(3) of PSB(O) SR-1982 :—

"Any Officer who has exercised option referred to in sub-regulation (1) and continues to draw pay and allowances according to his entitlement in the service of the Bank immediately prior to the appointed date, in terms of sub-regulation (2) shall be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these regulations on and from 1-2-84. On exercising such option, he will be fitted notionally on the appointed date into the new scale of pay in the manner referred to in regulation 8 and after granting himthe increments he would have received interms of these regulations up to 31-1-1984, he shall be fitted in the scale of pay set out in Regulation 4(1) as on 1-2-1984 in accordance with the guidelines of the Government issued thereunder.

Provided that if the aggregate of pay and allowances payable under these regulations to the officer after fitment as above is lower than the aggregate of pay and allowances that were payable to him as on 31-1-1984 before such fitment, the difference shall be paid to him as a personal allowance which shall be absorbed in the future increment to the extent of 33⅓ per cent of each such increment or 33⅓ per cent of the increase in the salary as a consequence of such increment whichever is lower."

VI. W.e.f. 1-10-86 Regulation 6(2) of PSB(O)SR-1982 has been amended as under :—

Regulation 6(2)—"For the purpose of categorisation of posts under sub-regulation(1), every branch of the Bank shall be classified by the Bank, in accordance with the criteria to be approved by the Government as Small, Medium, Large, Very Large or Exceptionally large category."

VII. W.e.f. 1-8-86 Regulation 19 of PSB(O)SR-1982 has been amended:

By inserting "/Committees" or "/Special Committees" after the words "Committee" or "Special Committee" wherever appearing in the said regulation.

VIII. W.e.f. 1-11-86 Regulation 41(1) of PSB(O)SR-1982 has been amended as under :—

"In Regulation 41(1), the words and figures "Rs2,675/-" and "Rs. 3,000/-" wherever appearing therein have been substituted by the words and figures "Rs. 2,650/-" and "Rs. 2,925/-" respectively."

IX. W.e.f. 1-4-87 Regulation 22(3)(ii) of PSB(O)SR-1982 has been amended as under :—

Regulation 22(3)(ii).—"12 % of the Capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the Capital Cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures like air-conditioners."

X. W.e.f. 1-1-87 Regulation 41(4) of PSB(O)SR-1982, has been amended as under :—

"41(4)—On and from 1-1-87, an Officer in the Grades/Scales set out in Column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof:—

Grades/Scales of Officers	(Daily Allowance (Rupees)		
	Major 'A' class cities	Area-I	Other Places
1	2		
Scale VI & VII	100.00	80.00	60.00
Scale IV & V	100.00	80.00	60.00
Scale II & III	70.00	60.00	50.00
Scale I	70.00	60.00	50.00

Provided that :—

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

(b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC hotels, subject to the limits given below :—

Grade/Scales of Officers	Eligibility to stay	BOARDING CHARGES(Rs.)		
		Major 'A' class cities	Area-I	Other Places
1	2	3	4	5
Scale VI & VII	4*Hotel	100.00	80.00	60.00
Scale IV & V	3*Hotel	100.00	80.00	60.00
Scale II & III	2*Hotel (Non-A.C.)	70.00	60.00	50.00
Scale I	1*Hotel (Non-A.C.)	70.00	60.00	50.00

(c) Where free lodging is provided at the place of halt, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.

(d) Where free boarding is provided at the place of halt, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where free lodging and free boarding are provided at the place of halt, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible.

(f) A supplementary Diem Allowance of Rs. 5/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

EXPLANATION:

For the purpose of computing Halting Allowance "per diem" shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the sheduled time of departure

in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, "per diem" shall mean a period of not less than 8 hours."

XI. W.e.f. 1-1-87, Regulation 23(iv) of PSB (O) SR-1982 has been substituted by the following:-

"23(iv)—On and from 1-1-87 if an Officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, a midacademic year transfer allowance of Rs. 150/- p.m. from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place."

XII. W.e.f. 1-1-85, Regulation 23 (vi) of PSB (O) SR-1982, has been substituted by the following:-

"23(vi)—On and from 1-1-85, if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an Officiating Allowance equal to 10% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident fund and not for any other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation, 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect."

XIII. W.e.f. 1-1-85, Regulation 23(x) of PSB (O) SR-1982 has been substituted by the following:-

"23 (x)—On and from 1-1-1985, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a Hill and Fuel Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place:-

TABLE

Places	Rates
1	2
Offices at altitudes of and over 1500 meters above Mean Sea Level	10% of pay subject to a maximum of Rs. 130/- p.m.
Offices at altitudes of and over 1000 meters but below 1500 meters above Mean Sea Level.	8% of pay subject to a maximum of Rs. 100/- p.m.

XIV. W.e.f. 1-1-1987, in Regulation 24(1)(b) of PSB (O) SR-1932, the following clause has been added as clause (v) after clause (iv):—

"24 (1)(b)(v)—On and from 1-1-87, Medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shale be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 75% in the case of an officer and 50% in the case of his family members:—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment Tumour, Small Pox, Pleurisy, Diphtheria, Leprosy, Kidney Ailment."

XV. W.e.f. 1-1-87, Regulation 42 (2)(ii) of PSB (O) SR-1982 shall be substituted by the following:—

"42(2)(ii)—On and from 1-1-1987, if an Officer eligible for full wagon avails of the facility of 'Container Service' by railways, he will be reimbursed actual charges for one container if he is in Junior or Middle Management Grade and for two containers if he is in Senior or Top Management Grade. If the baggage is transported by road between places connected by rail, the reimbursement will be limited to the actual freight charges against submission of bills subject to the cost not exceeding the cost of transport of the maximum permissible quantity by goods train. If there is no railway station or railway out agency at the old or new place of posting, the officer will be paid the actual cost of transporting the baggage by road upto the nearest railway station or railway out agency. If both the places do not have railway station/out agency, the officer will be actual cost of transporting the baggage by road upto the stipulated weights by an approved transport operator."

XVI. W.e.f. 1-1-87, Regulation 42(3) of PSB (O) SR-1982 has been substituted by the following:-

"42(3)—On and from 1-1-1987, an officer on transfer will be eligible to draw a lump sum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc.

Grade	Lump sum
Top Management and Senior Management	Rs. 1500/-
Middle Management and Junior Management	Rs. 1000/-"

XVII. W.e.f. 1-1-87, Regulation 44(ii) has been substituted by the following:—

"44(ii)—On and from 1-1-87, once in every four years, when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding one month at a time. For the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the availment of the Leave Travel Concession commences shall be admissible.

Provided that an Officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the Bank to remit the amount to the Fund."

XVIII. W.e.f. 1-1 1985, at the end of Regulation 5(1) of PSB (O) SR-1982, the following proviso has been added:—

"Provided that on and from 1-1-1985, those officers in Junior Management Grade Scale-I and Middle Management Grade Scale II & III who reach the maximum of their pay scale shall be granted stagnation increments equivalent to the last increment for every five completed years of service after reaching the maximum in the respective scales, subject to a maximum of two such increments for officers

in Junior Management Grade Scale I and one such increment for Officers in Middle Management Grade Scale II & III.

In case of those officers who have completed more than 5 years of service at the maximum of the respective scales, the first such stagnation increment will be granted effective from the date on which it falls due or from Ist January, 1985, whichever is later, but the second such increment shall be granted to those eligible not earlier than Ist January, 1987."

XIX. W.e.f. 1-2-84, at the end of Regulation 5(2) of PSB (O) SR—1982, the following proviso has been added—

"Provided that on and from 1-2-84, those officers who have reached the maximum of their pay scales, professional qualification allowance of Rs. 100/- p.m. shall be granted for passing Part I of C.A.I.I.B. Examination after they complete one year at the maximum in the scale of pay and Rs. 200/- p.m. for passing both parts of C.A.I.I.B. Examination after they complete two years at the maximum in the scale of pay."

XX. W.e.f. 1-2-1984, Regulation 22(2) of PSB (O)SR-1982 has been substituted by the following:—

"22(2)—On and from 1-2-1984, where an officer is not provided with residential accommodation by the Bank he shall be eligible for house rent allowance being a sum equivalent to the excess of the actual rent paid by him for his residential accommodation over 10% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, such sum being subject to the following rates:-

Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class cities specified as such from time to time by the Board in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'.	17½% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 500/- p.m.
(ii) Area I not covered by item (i) above and Project Area Centres in Group 'B'.	15% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 400/- p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by I and II above.	12½ % of the basic pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.
(iv) Area-III	10% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 250/- p.m .

NOTE: House Rent Allowance as above shall be paid on production of rent receipts, except that an Officer may claim house rent allowance on certificate basis at the above rates subject to maximum as under:—

Major 'A' Class Cities and Project Area Centres in Group 'A'.	Maximum Rs. 275/-
Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	Maximum Rs. 225/-
Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories.	Maximum Rs. 165/-
Area III.	Rs. 110/- (fixed)."

N.S. GUJRAL, Dy. Gen. Manager (Personnel).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988